एनएचपीसी कॉर्पोरेट सुरक्षा नीति

1. प्रारंभिक सूचना

एनएचपीसी की सुरक्षा नीति, अपने सभी कार्यस्थलों मे शून्य खतरे की संभावना के अपने लक्ष्य की प्राप्ति और एनएचपीसी पावर स्टेशन/पावर परियोजना कार्य स्थलों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्मिकों की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

इस सुरक्षा नीति में निहित प्रावधान सभी एनएचपीसी पावर स्टेशनों और निर्माण परियोजनाओं के प्रमुखों पर बाध्यकारी हैं, जब तक कि कोई विधि/कानून इसमें निहित प्रावधानों से भिन्न किसी बात की अपेक्षा न करता हो।

2. वैधानिक आवश्यकताएँ

I. कंपनी अधिनियम, 1948 और राज्यों की कंपनी नियमावली - जहां एनएचपीसी पावर स्टेशन स्थित हैं, के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत पावर स्टेशन का प्रमुख सुरक्षा नीति तैयार करने और अपने-अपने पावर स्टेशनों पर यथालागू इसके उपबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है।

II. भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजना का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और केंद्रीय विनियमावली, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत, जहां उपबंधों के अनुपालन की मौलिक जिम्मेदारी ठेकेदारों की है, परंतु परियोजना प्रमुख भी अपनी सुरक्षा नीति अधिसूचित करने और इसका कार्यान्वयन कराने के लिए जिम्मेदार हैं। परियोजना प्रमुख सुरक्षा नीति तैयार करने और इसके उपबंधों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

III. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (निर्माण, विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण) नियमावली, 2011/2022 के उपबंधों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कवर की गई विद्युत कंपनियों को भी कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में लिखित नीति तैयार करनी होती है।

3. कंपनी की जिम्मेदारी

एनएचपीसी यह घोषणा करती है कि वह स्टेशन प्रमुखों एवं परियोजना प्रमुखों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने में सक्षम बनाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगी, ताकि विभिन्न लागू अधिनियमों के प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन के उद्देश्यों को, बिना किसी वैधानिक विरोधाभास के पूरा किया जा सके। पावर स्टेशन/परियोजना के अधिभोक्ता एवं

ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस नीति दस्तावेज़ का ढाँचा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

एनएचपीसी लिमिटेड का प्रबंधन सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करने, सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ अपनाने तथा सभी कर्मचारियों में सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका अंतिम उद्देश्य कार्य से संबंधित चोटों एवं व्यावसायिक रोगों की रोकथाम करना है।

यह नीति निम्नलिखित प्रथाओं को अपनाकर प्रभावी की जाएगी:

I. प्रबंधन कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रयोजन रखता है।

II. लाइन प्रबंधन अपने अधीन कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगा। सुरक्षा से संबंधित विधियों की सतत देखभाल एवं क्रियान्वयन के अतिरिक्त, विभागाध्यक्ष संचालन प्रक्रियाओं, संयंत्रों तथा अपने अधीन उपकरणों का मासिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे, अधिमानतः ऐसे चेकलिस्ट की सहायता से जिनमें मशीनरी, उपकरणों एवं सामग्री से संबंधित सभी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं तथा वैधानिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया हो। ऐसे निरीक्षणों के समुचित अभिलेख विभागों में रखे जाएंगे। यूनिट प्रमुख नीति को प्रभावी बनाने हेतु अपने स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेंगे।

III. मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी की भूमिका शीर्ष प्रबंधन के लिए केवल परामर्शदायी होगी, जो सहमति होने पर सुझावों को क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को अग्रेषित करेंगे।

IV. प्रबंधन संयंत्र में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार हेतु सभी स्तरों के कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करेगा:

i) प्रबंधन एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए सुरक्षा समिति का गठन, जिससे सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का समाधान किया जा सके।

ii) सुरक्षा सप्ताह/सुरक्षा दिवस का आयोजन, जिसमें सुरक्षा कौशल से संबंधित विभिन्न प्रचारात्मक गतिविधियाँ, जैसे प्रतियोगिताएँ आदि शामिल हों।

iii) सुरक्षा से संबंधित पोस्टर एवं स्लोगन प्रदर्शित करना।

iv) सुरक्षा सुझाव योजना का आयोजन करना तथा अच्छे सुझाव देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करना।

v) कर्मचारियों द्वारा इंगित आसन्न खतरों पर उपयुक्त कार्रवाई करना।

V. कार्यपालकों एवं सभी स्तरों के कर्मचारियों के करियर उन्नयन के दौरान उनकी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य निष्पादन को उचित महत्व दिया जाएगा। प्रवृत्ति या लापरवाही से संबंधित प्रमाण व्यक्तिगत अभिलेखों के साथ सुरक्षित रखे जाएंगे।

VI. कारखाने में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों, जैसे ग्राहक, आगंतुक, ठेकेदार, उप-ठेकेदार, परिवहनकर्ता आदि के साथ सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं जिम्मेदारियाँ साझा की जाएँगी।

VII. कंपनी के वार्षिक सुरक्षा प्रदर्शन का सार कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा।

VIII. प्रबंधन संयंत्र की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए निम्नलिखित सहित विभिन्न अध्ययनों की सहायता से परिस्थितियों की आवधिक निगरानी की जाएगी:

i) वर्ष में एक बार बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा।

ii) विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्रों का जोखिम एवं परिचालनीयता (HAZOP) अध्ययन, आवधिक रूप से तथा किसी भी बड़े संशोधन के बाद।

iii) संयंत्र में संभावित प्रमुख दुर्घटनाओं का जोखिम मूल्यांकन, यदि परिकल्पित हो।

iv) सुरक्षा विभाग द्वारा (चेकलिस्ट की सहायता से) विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्रों का सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निरीक्षण।

v) श्रमिकों के श्वसन क्षेत्र में वायुजनित प्रदूषकों का आवधिक आकलन तथा भौतिक खतरों जैसे ऊष्मीय तनाव, शोर, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, एर्गोनॉमिक (कार्य-आकृतिक) खतरे आदि का मूल्यांकन।

vi) सुरक्षा विभाग द्वारा नियमित सुरक्षा निरीक्षण।

vii) संबंधित विभाग द्वारा अग्निशामक यंत्रों की जाँच एवं अनुरक्षण प्रत्येक तीन माह में एक बार।

viii) संबंधित विभाग द्वारा फायर हाइड्रेंट पोस्ट एवं आइसोलेशन वाल्व की जाँच माह में एक बार।

ix) संबंधित विभाग द्वारा अग्नि पंपों की दैनिक जाँच।

IX. संयंत्रों, उपकरणों, मशीनरी एवं सामग्रियों की खरीद, ठेके प्रदान करने तथा कर्मियों के चयन एवं नियोजन सहित कंपनी के सभी निर्णयों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी विचारों को एकीकृत किया जाएगा।

X. प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम 4 घंटे का प्रेरण (इंडक्शन) प्रशिक्षण तथा प्रति वर्ष न्यूनतम 10 घंटे का सतत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

XI. नीति दस्तावेज़ की एक प्रति राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक को नीति में किसी भी संशोधन अथवा अधिभोक्ता के परिवर्तन की स्थिति में भेजी जाएगी।

XII. नीति की एक प्रति (उस भाषा में जिसे अधिकांश श्रमिक समझते हों) सभी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें ठेका श्रमिक, प्रशिक्षु, परिवहन श्रमिक, आपूर्तिकर्ता आदि शामिल होंगे।

XIII. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताएँ, जैसा कि प्रमुख राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय मानकों में निर्धारित है, जिन्हें संयंत्र में या विश्व में कहीं भी सीखा गया हो, उन्हें दुर्घटनामुक्त कार्य सुनिश्चित करने हेतु संयंत्र की कार्यप्रणालियों में अपनाया जाए।

XIV. नीति का सार संयंत्र में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से प्रकाशित किया जाएगा।

XV. नीति की समीक्षा आवश्यकता अनुसार एवं निम्नलिखित परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से की जाएगी:

i) संयंत्र में ऐसा विस्तार अथवा संशोधन, जिसका सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हो।

ii) नए पदार्थों/वस्तुओं का समावेश अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन।

iii) अधिभोक्ता के परिवर्तन की स्थिति में नई अधिभोक्ता द्वारा विधियों, नवीनतम तकनीक, मशीनरी अथवा सामग्रियों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नीति की समीक्षा की जाएगी तथा अपने हस्ताक्षर सहित नया दस्तावेज़ जारी किया जाएगा, जिसे राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक को भेजा जाएगा।

पावर स्टेशन/परियोजना/ठेकेदार के लिए आदर्श एनएचपीसी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य पर्यावरण नीति:

उपरोक्त उल्लिखित नीति को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पावर स्टेशनों/परियोजना प्रमुखों एवं ठेकेदारों द्वारा अपनी-अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य पर्यावरण नीति तैयार की जा सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके क्षेत्रों में लागू नियमों एवं विनियमों में दिए गए सभी बिंदुओं का अनुपालन हो। एक आदर्श सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य पर्यावरण नीति, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

पावर स्टेशन/परियोजना/ठेकेदार के लिए आदर्श एनएचपीसी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य पर्यावरण नीति

1. दृष्टि:

NHPC ..... (स्थान) में हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी उत्पादकता तथा जलविद्युत उत्पादन से अभिन्न रूप से जुड़े हैं तथा हम अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरण हमारे व्यावसायिक संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

2. प्रतिबद्धता:

हम सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी व्यावहारिक उपाय अपनाकर दुर्घटनाओं, चोटों एवं अस्वास्थ्य को रोकने तथा पर्यावरण की रक्षा करने हेतु अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह घोषित किया जाता है कि:

I. सभी लागू सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त मानक अपनाकर कानूनी अनुपालन से भी आगे बढ़ा जाएगा।

II. सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं, सुरक्षा मैनुअल, सुरक्षा नियमों एवं संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी लाइन प्रबंधन की होगी।

III. संयंत्रों, उपकरणों, मशीनरी एवं सामग्री की खरीद, कर्मचारियों के चयन एवं तैनाती तथा ठेकों के आवंटन जैसे सभी निर्णयों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाएगा।

IV. NHPC ..... (स्थान) द्वारा किए गए सभी अनुबंधों एवं समझौतों में यह शर्त शामिल होगी कि सभी ठेकेदार, उप-ठेकेदार एवं परिसर में कार्यरत अन्य एजेंसियाँ सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पालन करेंगी और उन्हें अनुबंध की शर्तों के रूप में लागू किया जाएगा।

V. सभी घटनाओं, जिनमें निकट-चूक एवं खतरनाक परिस्थितियाँ शामिल हैं, चाहे वे रिपोर्ट करने योग्य हों या नहीं, उन्हें दर्ज किया जाएगा, जाँच की जाएगी तथा आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक उपाय अपनाए जाएंगे।

VI. प्रबंधन एवं कर्मचारियों के समान प्रतिनिधित्व वाली एक संयंत्र सुरक्षा समिति गठित की जाएगी, जो OSH विषयों पर संवाद, शिक्षा एवं परामर्श, तथा कर्मचारियों के सहयोग को सुनिश्चित करेगी। सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएँगी।

VII. सभी स्तरों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि इस संबंध में सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

VIII. सभी स्तरों के कर्मचारियों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदर्शन का अभिलेख रखा जाएगा और उनके कैरियर विकास के दौरान उसे उचित महत्व दिया जाएगा।

IX. सभी कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों जैसे आगंतुकों, परिवहनकर्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं आदि में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और प्रेरणा बनाए रखने हेतु निम्नलिखित प्रचारात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी:

i) आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित नारे और चेतावनी संकेत प्रदर्शित करना।

ii) सुरक्षा माह / सुरक्षा सप्ताह / सुरक्षा दिवस आयोजित करना तथा विभिन्न वार्षिक सुरक्षा प्रचार गतिविधियाँ जैसे सुरक्षा सुझाव योजना, सुरक्षा नारा प्रतियोगिता, "वर्ष का सुरक्षा मैन" घोषित करना, सुरक्षा कविता प्रतियोगिता, सुरक्षा स्किटों का मंचन, पीपीई परेड का आयोजन, अग्निशमन मोक ड्रिल आदि।

X. नियमित संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण, खतरों की पहचान एवं जोखिम आकलन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा ऑडिट तथा उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन को योजनाबद्ध ढंग से किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।

3. उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही:

3.1 अधिभोगी या ठेकेदार:

अधिभोगी तथा ठेकेदार (जहाँ लागू हो), सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति के क्रियान्वयन के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होंगे।

3.2 विभाग स्तर:

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होंगे।

3.3 सुरक्षा अधिकारी:

सुरक्षा अधिकारी, राज्य कारखाना नियमों के अनुसार निर्धारित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वे अधिभोगी के सलाहकार होंगे तथा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए सीधे अधिभोगी को रिपोर्ट करेंगे।

3.4 कर्मचारी:

सभी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करें। कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी, अपने दल के सदस्यों तथा आसपास के व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

4. नीति को प्रभावी बनाने की व्यवस्थाएँ:

नीति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु इसे व्यापक रूप से संप्रेषित किया जाएगा

4.1 सभी कर्मचारियों को, जिनमें ठेका श्रमिक, प्रशिक्षु, परिवहन कर्मी, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य संबंधित व्यक्ति शामिल हैं, इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

4.2 कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नीति का सार प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

4.3 इसे अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए सभी संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।

5. समीक्षा एवं समन्वय:

इस नीति की निम्नलिखित स्थितियों में समीक्षा एवं संशोधन किया जाएगा:

5.1 संयंत्र में विस्तार या ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हो।

5.2 नए पदार्थों अथवा वस्तुओं की शुरुआत या उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन।

5.3 जब भी अधिभोगी में परिवर्तन होगा, तब नया अधिभोगी, प्रचलित अधिनियमों, आधुनिक तकनीक, मशीनरी या सामग्री में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस नीति की समीक्षा करेगा तथा अपने हस्ताक्षर सहित एक नया दस्तावेज जारी करेगा, जिसे राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक को भेजा जाएगा।

दिनांक (Date):
स्थान (Place):

अधिभोगी के हस्ताक्षर
(अधिभोगी का नाम, पदनाम एवं पता)